बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :–6ए/वि0–01–1019/2023– 1675 पटना – 15, दिनांक :– 12·8·2

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः–पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन 58003 ग्रामीण वार्डों में निर्मित 70157 जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, मरम्मति एवं सम्पोषण हेतु रू0 1,08,372.00 (एक लाख आठ हजार तीन सौ बहतर रू0) प्रति जलापूर्ति योजना प्रति वर्ष के मानक दर से 5 वर्षो तक संचालन, मरम्मति एवं सम्पोषण हेतु कुल रू0 361145.33 लाख (तीन हजार छः सौ ग्यारह करोड़ पैंतालीस लाख तेतीस हजार रूपये) मात्र की राशि पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश – पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन 58003 ग्रामीण वार्डों में निर्मित 70157 जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, मरम्मति एवं सम्पोषण हेतु रू0 1,08,372.00 (एक लाख आठ हजार तीन सौ बहतर रू0) प्रति जलापूर्ति योजना प्रति वर्ष के मानक दर से 5 वर्षो तक संचालन, मरम्मति एवं सम्पोषण हेतु कुल रू0 361145.33 लाख (तीन हजार छः सौ ग्यारह करोड़ पैतालीस लाख तेतीस हजार रूपये) मात्र राशि पर योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. बिहार राज्य अंतर्गत (पूर्णियाँ प्रक्षेत्र एवं खगड़िया प्रमंडल को छोड़कर) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रमंडलो में पंचायती राज विभाग से 58003 ग्रामीण वार्डो में निर्मित एवं हस्तांतरित 70157 जलापूर्ति योजनाओं में पेयजल की सत्त व्यवस्था बनाये रखने हेतु अगले पाँच (05) वर्ष के परिचालन एवं रख–रखाव की आवश्यकता है।

3. उक्त जलापूर्ति योजनाओं के संचालन मरम्मति एवं अनुरक्षण के कार्य के लिए 3 HP के मोटर पम्प एवं औसतन 150 परिवार को आच्छादन मानते हुए जलापूर्ति योजनाओं के संचालन मरम्मति एवं सम्पोषण का तकनीकी अनुमोदनोपरान्त वार्षिक व्यय प्रति जलापूर्ति का आंकलन निम्नवत् किया गया है :–

क्र0सं0	मद	वार्षिक व्यय
1	अनुरक्षक का मानदेय	रू0 24,000
2	वृहत/लघु मरम्मति, निवारण अनुरक्षण गतिविधियाँ एवं अन्यान्य	रू0 43, 620
3	विद्युत प्रभार	रू0 30,000
	कुल	**रू0 97, 620**
विशेष मरम्मति हेतु अतिरिक्त राशि		रू0 9762
4	IOT के अनुरक्षण हेतु (औसतन)	रू0 990
	कुल	**रू0 1,08,372**

4. उपर्युक्त मार्गदर्शन दिशा–निर्देश के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं का वित्तीय वर्ष 2023–24 से 2027–28 तक परिचालन एवं रख–रखाव किया जायेगा, जिसका वर्षवार वित्तीय विवरणी निम्न प्रकार है:–

पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित योजनाओं की संख्या	मानक वार्षिक अनुरक्षण दर प्रति योजना (रूपये में)	योजनाओं का कुल वार्षिक अनुरक्षण निधि की आवश्यकता (रू0 लाख में)
70,157	108372	76030.50
षष्टम राज्य वित्त आयोग (अनुरक्षण मद/सामान्य मद) से पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निधि	30,000	21047.10
15 वें वित्त आयोग से अनुरक्षक के मानदेय एवं विद्युत विपत्र हेतु WIMC को हस्तांतरित की जाने वाली राशि	54000	37884.80
राज्य योजना मद से विभाग को उपलब्ध करायी जाने वाली राशि	24372	17098.70

वित्तीय वर्ष	षष्टम राज्य वित्त आयोग (अनुरक्षण मद) से पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निधि (रू0 लाख में)	15 वें वित्त आयोग से अनुरक्षक के मानदेय एवं विद्युत विपत्र हेतु WIMC को हस्तांतरित की जाने वाली राशि	राज्य योजना मद से प्राप्त की जानेवाली राशि	कुल वार्षिक आवश्यकता (रू0 लाख में)	अभ्युक्ति
2023–24 (09 माह हेतु)	15785.33	28413.60	12824.00	57022.93	जुलाई 2023 से मार्च 2024
2024–25	21047.1	37884.80	17098.70	76030.60	
2025–26	21047.1	37884.80	17098.70	76030.60	
2026–27	21047.1	37884.80	17098.70	76030.60	
2027–28	21047.1	37884.80	17098.70	76030.60	
कुल	**99973.73**	**179952.80**	**81218.80**	**361145.33**	

5. योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में राशि का पर्याप्त बजटीय उपबंध है, आवश्यकतानुसार द्वितीय अनुपूरक से प्रावधान किया जायेगा।

6. जलापूर्ति योजनाओं का संचालन, संपोषण एवं मरम्मति का कार्य विभागीय संकल्प संख्या–543, दिनांक 28.06.2021 एवं विभागीय संकल्प सं0–1676........., दिनांक–12.08.24...द्वारा प्रावधानित अनुरक्षण अनुदेशों के अनुरूप संपादित किया जायेगा।

7. लोक स्वास्थ्य प्रमंडल (पूर्णियाँ प्रक्षेत्र एवं खगड़िया प्रमंडल को छोड़कर) अंतर्गत पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित योजनाओं का परिचालन एवं रख–रखाव संबंधित लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जायेगा। अनुरक्षक का मानदेय एवं विद्युत विपत्र की राशि पंचायत/WIMC द्वारा सीधे भुगतान किया जायेगा।

8. इस योजना के परिचालन एवं रख–रखाव पर होने वाले व्यय का बजट निम्न मतदेय शीर्षो में भारितव्य होगा:–

(i) षठम राज्य वित्त आयोज (अनुरक्षण मद) से पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जानेवाली निधि का बजट शीर्ष–मुख्य शीर्ष–2215–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान के विषय शीर्ष 0009.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड 16–2515001980009 होगी।

(ii) 15 वित्त आयोग से अनुरक्षक एवं विद्युत विपत्र हेतु हस्तांतरित की जानेवाली राशि बजट शीर्ष–मुख्य शीर्ष 2215–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उप मुख्यशीर्ष 00–लघु शीर्ष 198–उपशीर्ष 0016 पंचायत राज संस्थाओं को सहायता (टाईड) जिसका विपत्र कोड 16–2515001980016 होगा।

(iii) राज्य योजना से दिये जाने वाले अन्तर राशि को बजट शीर्ष 2215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष 01–जलपूर्ति, लघु शीर्ष 102–ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, उपशीर्ष 0107–ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रख रखाव–सात निश्चय–2, विपत्र कोड–36– 2215011020107 विषय शीर्ष में भारितव्य होगा।

9. इस योजना के मरम्मति, रख–रखाव एवं अनुरक्षण की राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल के कार्यपालक अभियन्ता होगें। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक ही सीमित रहेगा। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

10. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे।

11. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के नियमित कार्यान्वयन के क्रम में कम–से–कम क्रमशः दो बार एवं एक बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को जरूर भेजेंगे तथा आवश्यकतानुसार निराकरण भी सुनिश्चित करायेंगे।

12. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

13. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

14. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी। जारी

15. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–53/2007/3758/वि0, दिनांक –31–05–17 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।

16. योजना का कियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

17. यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गई है, अन्य मद में नहीं।

18. योजना के क्रियान्वयन के पूर्व सक्षम प्राधिकार से योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का अद्यतन अनुसूचित दर पर तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जायेगी।

19. राज्य अन्तर्गत पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित योजनाओं के संचालन, अनुरक्षण एवं रख–रखाव पंचायती राज विभाग की सहमति, दिनांक 14.06.2024 को हुई लोक वित्त समिति की बैठक एवं दिनांक 06.08.2024 की मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या 19 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

20. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

जावेद 12-8-24

(मो0 सादुल्लाह जावेद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक – 1675 पटना – 15 ,दिनांक :– 12.8.2

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/कल्याण विभाग, बिहार/पंचायती राज विभाग, बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव/प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, बिहार/मुख्य अभियन्ता (उत्तरी/दक्षिणी बिहार)/मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/मुख्य अभियन्ता (यॉंत्रिक)/विशेष पदाधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/अधीक्षण अभियंता, रूपांकण एवं योजना प्रमंडल संख्या–02/उप निदेशक (अने0)/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल सं0–2 एवं 3/प्रशाखा–6/12/कार्यवाह सहायक–6/12/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल/ संबंधित कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. कार्यपालक अभियंता स्वीकृत योजना की मदों की मात्रा, दर एवं गणना में भूल को तुरंत विभाग के संज्ञान में लायेंगे। इसकी पूर्ण जवाबदेही संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।

5. माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

जावेद 12-8-24

(मो0 सादुल्लाह जावेद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव